न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

ीठासीन अधिकारी :–स्वाति गुप्ता आर ए एस

ाजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 021 / 2017

1. हरदयाल पुत्र बहादुर राम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. इन्द्राज पुत्र बहादुर राम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. पृथ्वीराज पुत्र बहादुर राम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. कृष्णलाल पुत्र बहादुर राम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. लक्ष्मीनारायण पुत्र मनोहरलाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – प्रार्थीगण

बनाम

1. भागीरथ पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. शांति देवी पत्नी केसरीचन्द(फौत)
3. बद्रीप्रसाद पुत्र केसरीचन्द जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. राजेन्द्र पुत्र केसरीचन्द जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. कैलाशदेवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्री केसरीचन्द जाति जाट निवासी 12 एम.टी.बी. पिलानियांवाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
6. सिलोचना देवी पत्नी कृष्णलाल [illegible] तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
7. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

–अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 10:56:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

उपस्थित अभिभाषकगणः–

1. श्री विजय बेनीवाल अधिवक्ता – –प्रार्थी

Scanned with CamScanner

2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अधिवक्ता — — अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :— 29.05.2024

प्रार्थी हरदयाल आदि ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता में चक नम्बर 3 डी.पी.एम. जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 141/114 में कुल 12.650 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एवम अप्रार्थी संख्या 1 के नाम इसी चक के खाता संख्या 70/60 के पत्थर नम्बर 185/238(20) किला नम्बर 21 कृषि भूमि एवम अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के नाम इसी चक के खाता संख्या 115/98 में संयुक्त खाता में पत्थर नम्बर 185/238(20) किला नम्बर 3 8 12, 13, 19, 20, 21 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

चक नम्बर डी.पी.एम. के पत्थर नम्बर 185/238(20) किला नम्बर 21 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं तथा इसी चक के पत्थर नम्बर 185/238(20) किला नम्बर 20 अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने—जाने के लिए क रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण चक नम्बर 3 डी.पी.एम. के पत्थर नम्बर 185/238(20) किला नम्बर 20 व 21 में से होकर अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करते हैं। उक्त रास्ता मौका पर चालू है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि रास्ता के अभाव में बंजर हो रही है जिससे प्रार्थीगण को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अप्रार्थीगण उक्त चालू रास्ता को कभी भी मौका पर बन्द कर सकते है जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि काश्त नहीं कर सकेंगे एंवम प्रार्थीगण की कृषि भूमि बंजर हो जावेगी। प्रार्थीगण रास्ता के अभाव में अपने ट्रैक्टर एवम अन्य कृषि उपकरण अपनी कृषि भूमि में नहीं ले जा सकेंगे। इसलिए चक नम्बर 3 डी.पी.एम. के पत्थर नम्बर 185/238(20) के किला नम्बर 20, 21 प्रत्येक में 1 1 बिस्वा अर्थात 0.013 हैक्टर चौड़ा रास्ता व 2 बीघा लम्बा पश्चिमी दिशा की तरफ रास्ता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहते है। उक्त रास्ता की कृषि भूमि के बदले में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को चिपती कृषि भूमि देने को तैयार है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्टफीस ... है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा ...।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. पेश कर निवेदन है कि चक नम्बर 3 डी.पी.एम. के पत्थर नम्बर 185/238(20) किला नम्बर 20, 21 प्रत्येक में एक बिस्वा अर्थात 0.013 हैक्टर चौडा व 2 बीघा लम्बा पश्चिमी दिशा की तरफ दक्षिण

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 10:56:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

से उत्तर दिशा की रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किया जाये।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश होने पर सरिश्ता की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार राजस्व से रिपोर्ट चाही गई। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 की फौतगी के कारण उसके वारीसान को रिकॉर्ड पर लेने बाबत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया वारीसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 बाद विधिवत तामील हाजिर अदालत नही आने के कारण अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 ने अपना सहमति का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक नम्बर 3 डी.पी.एम. के पत्थर नम्बर 185/238(20) किला नम्बर 21/0.253 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम तथा पत्थर नम्बर 185/238(20) किला नम्बर 20/0.253 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के नाम दर्ज होना सही है लेकिन इस चरण संख्या में प्रार्थीगण का कथन कि वे अप्रार्थीगण की भूमि के किला नम्बर 20 तथा 21 में से अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करते हैं, स्वीकार नही है तथा रास्ता ना तो अप्रार्थीगण की भूमि से कभी चालू था ना ही आज तक चालू है। रास्ता चालू होता तो प्रार्थीगण रास्ता किस दिशा में कोनसे किला नम्बर में चालू था, अंकित करते। कभी भी अप्रार्थीगण की भूमि में से प्रार्थीगण का कोई रासता वा आवागमन नही रहा है। रास्ता चालू होना तथा प्रार्थीगा का अपनी भूमि में अप्रार्थीगण की भूमि में से होकर प्रवेश करने का अभिकथन अस्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की दफा 3 में लिखे कथन गलत वा मिथ्या लिखे होने के कारण अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण को हम अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता स्वीकार करवाने का कोई अधिकार नही है। अप्रार्थीगण की भूमि पत्थर नम्बर 185/238(20) किला नम्बर 20 व 21 में फसल रबी की पूरी भूमि में काश्त है, कोई रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि में चालू नही है व ना ही कभी चालू रहा है। अप्रार्थीगण की भूमि सडक पर होने से प्रार्थीगण की भूमि से दुगुनी रकम ज्यादा की [illegible] है इसलिये फिर भी निवेदन है कि प्रार्थीगण ने भूमि रास्ता स्वीकृत वा चालू करवाने के [illegible] भूमि [illegible] ले में अप्रार्थीगण को देने का जैसा प्रस्ताव अपने प्रार्थनापत्र में लिखा है, [illegible] निगाह में रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष को वाजिब लगे तो अप्रार्थीगण की भूमि महंगी होने के कारण 2 बिस्वा रास्ते के बदले अप्रार्थीगण संख्या 1 तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को 2–2 बिस्वा भूमि कुल 0.050 हैक्टर प्रार्थीगण से दिलवावें। प्रार्थीगण अपनी भूमि पत्थर नम्बर 185/238(20) किला नम्बर 11 की उत्तरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम 4 बिस्वा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 10:36:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के किला नम्बर 20 की उत्तरी सीमा के साथ रास्ता के बदले देवे व उक्त 4 बिस्वा में से 2 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 अप्रार्थी संख्या 1 को अपने किला नम्बर 20 की दक्षिणी सीमा पर देवे।

उक्त जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र रास्ता बाबत् प्रार्थीगण खारीज फरमाये। विकल्प में अप्रार्थीगण का निवेदन है कि फिर भी अगर न्यायालय की राय में अनुतोषित रास्ता का प्रार्थीगण को अनुतोष प्रदान किया जावे तो प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण को 0.050 हैक्टर रास्ता की भूमि के बदले प्रार्थीगण की भूमि पत्थर नम्बर 185/238(20) किला नम्बर 11 की दक्षिणी सीमा पर पूर्व से पश्चिम 0.050 हैक्टर भूमि दिलायें जिस अनुसार अप्रार्थी संख्या 3 से 4 का किला नम्बर 11 में 0.050 हैक्टर भूमि दिलवाकर उनके नाम रिकॉर्ड में दर्ज की जाये तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 3 के नाम पत्थर नम्बर 185/238(20) किला नम्बर 20/0.253 हैक्टर में से 0.025 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा किला नम्बर 20 से 21 की पश्चिमी दिशा पर प्रत्येक किला में 0.013 हैक्टर रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र व ऐतराज नहीं है। तहसीलदार राजस्व, टिब्बी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जबाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली मे संलग्न जमाबन्दीयों व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, व तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी के जवाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते के अभाव के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाब प्रार्थना–पत्र मय राजीनामा के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] (क) के [illegible] का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 भागीरथ की [illegible] नम्बर 3 डी.पी.एम. के खाता संख्या 70/60 के [illegible] एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की कृषि भूमि चक नम्बर 3 डी.पी.एम. के खाता संख्या 115/98 के पत्थर नम्बर 185/238(20) किला नम्बर 20 के पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रत्येक किला में 0.013 हैक्टर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 10:56:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...लित रास्ता का अंकन करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड ...अंकन किया जावे।

...में आई भूमि के बदले प्रार्थी की भूमि प्रार्थी के नाम से संयुक्त खाता में चक नम्बर ... डी.पी.एम. के खाता संख्या 141/114 पत्थर नम्बर 185/238(20) किला नम्बर 11 के दक्षिणी दिशा में से 0.025 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की कृषि भूमि पत्थर नम्बर 185/238(20) किला नम्बर 20 में से दक्षिणी दिशा में 0.013 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 भागीरथ के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 10:56:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner